मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग मंत्रालय
भोपाल

क्रमांक 743 2018 / 19 / यो / परिपत्र भोपाल दिनांक 21/02/2018

प्रति,

1 प्रबन्ध संचालक,
म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पो. लि.,
भोपाल।

2 प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल।

3 परियोजना संचालक,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल।

विषय :— निर्माण कार्यों को गति दिये जाने में एम्प्लायर (राज्य शासन के प्रतिनिधि अभियंतागण के दायित्व) के दायित्व।

राज्य शासन राज्य की संचित निधि से स्वीकृत निर्माण कार्यों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ निश्चित समयावधि में पूर्ण करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उपरोक्त उददेश्य की पूर्ति के लिए कतिपय निर्माण कार्यों के लिए Supervision Consultant की नियुक्तियां की जाती है। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाये रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए एम्प्लायर के रूप में राज्य शासन के कर्तव्यों का समुचित तरीके से पालन किया गया हो।

2. कार्यों को गति देने के लिए एम्प्लायर के निम्न 3 उत्तरदायित्वों को समय–सीमा में निपटाया जाना आवश्यक है:–

(1) निर्माण कार्य के लिए Encumbrance free site की उपलब्धता।
(2) निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा समय–समय पर चाही जाने वाली डिजाइन अप्रूवल के मामलों का तत्काल निराकरण।
(3) केश फ्लो बनाये रखने की दृष्टि से निर्माण कर्ता एजेंसी के देयकों का समय–सीमा में भुगतान।

उपरोक्त तीनों में से किसी भी कार्य में विलम्ब होने से निर्माणकर्ता एजेंसी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए सफल नहीं हो पाती है और कई बार वैधानिक Liability भी उत्पन्न होती है। राज्य शासन अपेक्षा करता है कि विभाग के यंत्रीगण उपरोक्तानुसार तीनों जिम्मेदारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निर्वहन करेंगे।

3. राज्य शासन यह निर्देश देता है कि निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त होते ही संबंधित कार्यपालन यंत्री को सर्वप्रथम स्थल की उपलब्धता ज्ञात करना चाहिए। किसी भी हालत में निविदा बुलाने के पूर्व कम से कम 80 प्रतिशत भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि

Encumbrance free भूमि हो। शेष उपलब्ध भूमि कार्यादेश जारी करने के एक माह के अंदर उपलब्ध करा दी जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में प्रमुख अभियंता 80 प्रतिशत भूमि की उपलब्धता के मापदण्ड को लिखित आदेश से शिथिल कर सकेगे।

4. यदि निर्माण कार्य में वन भूमि आती है तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि कार्यादेश देने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर जी जाये। वन विभाग से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रमुख अभियंता कार्यालय में एक सेल गठित किया जाये और ऐसे प्रत्येक प्रकरण इस सेल के संज्ञान में भी लाये जाये जिससे वे सक्षम स्तर पर फालोअप कर अनुमतियां प्राप्त कर सके।

5. निर्माण कार्यों में कई बार वृक्षों की कटाई की समस्या भी आती है यह सुनिश्चित किया जाये कि कार्यादेश देने के अधिकतम 3 माह की अवधि में सभी प्रकार के वृक्षों की कटाई की अनुमतियॉ प्राप्त हो जाये।

6. निर्माण कार्यों के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे बिजली लाईन, वाटर लाइन आदि सम्मिलित है, की आवश्यकता भी पड़ सकती है। सम्बंधित स्थानीय निकायों/विभागों से ऐसे कार्यों का प्राक्कलन प्राप्त कर, प्रशासकीय स्वीकृति हेतु तैयार किये गये प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के तुरंत उपरांत सम्बंधित विभागों/संस्थाओं से उपरोक्त कार्य कराने की पहल की जाना चाहिए।

राज्य शासन उपरोक्त निर्देशों का अत्यंत कडाई से पालन कराना चाहता है और यह स्पष्ट किया जाता है कि, इन निर्देशों कें उल्लंघन पर जिम्मेदार सम्बंधित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच कर दीर्घ शास्ति से दण्डित किया जा सकता है।

19.2.2018

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)
सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ.क्रमांक 744 2018/19/यो/परिपत्र भोपाल दिनांक 21/02/2018

प्रतिलिपि –

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
2. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
3. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, पीआईयू मध्यप्रदेश।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
5. समस्त संयुक्त परियोजना संचालक, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय परियोजना यंत्री पीआईयू मध्यप्रदेश।

19.2.2018

सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग